

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग


क्रमांक: प.18(2)/नविवि/विविधि/2024


जयपुर, दिनांक: 24 JAN 2024

आदेश

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थाओं, निकायों एवं कार्यालयों में सेवानिवृत्ति उपरान्त समेकित पारिश्रमिक/संविदा/पे-माईनस पेंशन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत समस्त सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

उक्त आदेशों की पालना कर रिपोर्ट इस विभाग को दिनांक 24.01.2024 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।


(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय
नगरीय विकास विभाग


(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नविवि एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जे.एम.आर.सी., जयपुर।
6. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा विकास प्राधिकरण।
8. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी, राजस्थान, जयपुर।
10. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, राजस्थान, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार, रेरा, जयपुर।
12. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
13. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
14. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
15. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि, जयपुर।
16. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एनसीआर।
17. व. उ. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय